

# परम्परागत रुद्धियों को नकारती राजी सेठ की कहानियाँ

**जसविन्दर कौर**

**शोधार्थी, मेवाड़ विश्वविद्यालय चितौड़गढ़  
 पर्यवेक्षक – डॉ सुशीला लड्ढा  
 डॉ हरीश अरोड़ा  
 मेवाड़ विश्वविद्यालय चितौड़गढ़**

बीसवीं सदी का आरंभ नारी के जीवन का भी नया आरंभ था क्योंकि इस सदी ने दी नारी को शिक्षा और शिक्षण ने दी जागरूकता। उसकी अभिव्यक्ति में चेतना ने पैर पसारे। सन् 1900 में माधवराव सप्रे की कहानी 'एक टोकरी भर मिट्टी' हिंदी की पहली कहानी के रूप में प्रकाशित हुई। ठीक सात वर्ष पश्चात् 1907 में पहली हिंदी लेखिका दुलाई वाली छद्म नाम 'एक टोकरी भर मिट्टी' नामक कहानी लेकर सामने आई। समाज के मानसिक दबाब शायद अपनी पहचान को उजागर न करने की विवशता बने। लेकिन बावजूद इसके हम कह सकते हैं कि सन् 1907 से आरंभ हुआ देश की आधी अबादी का रचनात्मक सफर।

अपने व्यक्तिगत और एकांत अनुभवों को कहानी के चरित्रों के मध्य रख देना या अपने से अलग कहानी की दुनिया से अपना व्यक्तित्व निकाल लेना ही कला को सार्थकता देता है। वही सृजन उच्च कोटि का माना जाता है जिसमें सोददेश्यता हो। राजी सेठ की कहानियाँ भी इस कसौटी पर खरी उत्तरती हैं। आत्माभिव्यक्ति की आकांक्षा के साथ-साथ आत्म सजगता का रेखांकन उनकी कहानियों का केन्द्र बिंदु रहा है। जहां उन्होंने अपनी कहानियों में स्त्री पुरुष संबंधों का गहन और सूक्ष्म विश्लेषण किया है, वहीं वे नारी की वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के प्रति सचेत हैं।

'मेरे लिए नहीं' तथा 'किसके पक्ष में' शीर्षक कहानियों में ऐसी स्त्रियों को दिखाया गया है जो मात्र आधुनिक फैशन से वशीभूत होकर रुद्धि तोड़ने के पक्ष में हैं। 'मेरे लिए नहीं' कहानी की नायिका को पुरुष तो चाहिए, प्रेम भी चाहिए, संबंध भी चाहिए परंतु घर नहीं चाहिए क्योंकि उसका मानना है कि घर की चौखट में बंधते ही भारतीय समाज में यह रुद्धि है कि स्त्री पर कर्तव्य लाद दिए जाते हैं और उसके अधिकार छीन लिए जाते हैं। उधर 'किसके पक्ष में' कहानी की बेला

को इस बात की शिकायत है कि उसका वर्तमान पति महान क्यों नहीं है ?

वह किसी बड़े को पति के रूप में पाना चाहती है। उसे विककी का दबूपन और परंपरावादी व्यवहार अच्छा नहीं लगता है। वह दबांग प्रकृति की आधुनिक एवं सुशिक्षित नारी है परंतु विककी अपनी वंशानुगत प्रवत्ति के कारण विनम्रता और समर्पण का भाव लिए हुए है। तनाव के कारण वह न केवल पति को छोड़ती है बल्कि घर समाज और पुत्री तक भी परवाह नहीं करती। पति विककी बेहद परेशान है और बेटी को पालने के लिए बाध्य है।

अनर्गल प्रथाओं के भंजन के प्रसंग में राजी सेठ की कुछ कहानियों में स्वस्थ प्रयास हैं। विवाह संस्था में यदि यात्रिकता, ऊब, अविश्वास, निराशा, विरोध आदि की स्थिति बन जाती है तो यह अनिवार्य नहीं है कि इस प्रकार के संबंधों में बंधा ही चला जाए। यह प्रथा अब लागू नहीं हो सकती कि जिस स्त्री या पुरुष को एक बार अपना लिया उसे हर हाल में आजीवन बांधे या उससे बंधे रहना होगा। 'दलान पर' कहानी की चारु जब अपने पति की उपेक्षा से ऊब भरा जीवन जीते-जीते तंग आ जाती है तो वह पति को त्याग देने कर निर्णय ले लेती है। 'उसी जंगल' में कहानी की पत्नी अपमानित और प्रताड़ित दांपत्य जी रही है। पति की बदचलनी जब उसकी सहनशीलता की सीमाएँ लाघ जाती है तो वह अपने स्वाभिमान से समझौता न करके गर्भावस्था में ही घर छोड़कर चली जाती है।

'अकारण तो नहीं' कहानी में दीपाली इस बात को अनुभव कर रही है कि पांच वर्ष के दांपत्य जीवन के बावजूद उसको अपने पति सुधाकर से संतान नहीं हो रही है तो सारा दोष दीपाली पर ही क्यों डाला जा रहा है ? स्वयं सुधाकर भी इस तथ्य को जानता है कि कमी उसमें है फिर भी वह

दिखावा करता है कि उसकी पत्नी मां बनने में अक्षम है। सुधाकर की मां सामाजिक प्रथा के वशीभूत सुधाकर के लिए एक लड़की निशा को बहू बनाने का विचार करती है, तो दीपाली को मायके भेजने का घड़यंत्र किया जाता है। ऐसे वातावरण में दीपाली विद्रोह करती है और मायके से कभी न लौटने का निर्णय ले लेती है।

'स्त्री' कहानी में कमली के मन में भी यह बात आने लगी है कि जब उसका पति उस फकीर के पास प्रश्न पूछने जा सकता है तो वह क्यों नहीं? क्यों वह पति से डरती है? क्यों पति उसे उस वर्जित स्थान में जाने से रोक रहा है जिसमें स्वयं जाकर पसरा रहता है? क्या पत्नी के सीने में दिल नहीं? क्या उसकी कुछ अपेक्षाएं नहीं? पुरुष यदि स्त्री के प्रति अनासक्त रहता है तो स्त्री क्यों न किसी सुगंधित वातावरण में झाँके? नारी को स्वेच्छा से अपना पति चुनने का अधिकार क्यों नहीं है जबकि हमारे शास्त्रों में यह छूट स्वयंवर के रूप में मिलती थी। फिर भी यह नियंत्रण क्यों है? जिसके अंतर्गत 'अमूर्त कुछ' की सुमिको आतंकित किया जा रहा है। यदि नारी अपनी संतान को पालने के दायित्व के नाम पर वैधव्य काट सकती है तो पुरुष क्यों नहीं? यही कारण है कि 'सामांतर चलते हुए' कहानी में राजी सेठ ने विधुरों को विवाह करने की छूट नहीं दी।

भारतीय समाज में यह रुद्धि है कि एक पति या पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह वर्जित है। 'तीसरी हथेली' कहानी का मूल कथ्य इसी प्रथागत निषेध पर केंद्रित है। यहां विवाहित व गृहस्थ पुरुष से प्रेम करने वाली नंदी अपने पारिवारिक पैतृक नरक से निकल कर प्रेमी के पास इसलिए आया करती है कि उसके पास आकर असके मन की क्लायमेट बदल जाता है। वह प्रेमी की रोमांटिकता को खुले मन से स्वीकार कर रही है। वह चाहती है कि सदा के लिए उसके पास रह जाए जो कि संभव नहीं है। वह प्रेमी भी चाहती है, घर भी चाहती है और रुद्धिगत मान्यता भी। इसलिए उसकी स्थिति त्रिशंकु बन जाती है। वह नरकमय अप्रिय स्थितियों के बीच रहने-जाने को अभिशप्त है। यह संभवतः संस्कारों के प्रति अतिशय लगाव है या समाज के मानदंडों के प्रति अतिरिक्त संचेतना।

'अपने विरुद्ध' कहानी का आधार वह प्रथा है जिसके तहत बहुत से परंपारित परिवारों में पति अपनी पत्नियों के लेखन जैसे स्वतंत्र कलात्मक शौक को निषेधात्मक दृष्टि से देखते हैं और उनके इस कार्य में बाधा डालते हैं। श्याम उन रुद्धिवादी पतियों की तरह है जो पत्नियों को निरंतर समझाते रहते हैं कि लिखना अच्छी स्त्रियों का काम नहीं। अंततः वह इन्हीं वर्जनाओं के घात-प्रतिघात सहती हुई अंत में लेखन के विरुद्ध होने का विकल्प चुनने को विवश हो जाती है।

'किसका इतिहास' कहानी में भारत विभाजन का दुखद इतिहास भोग कर आए परिवार में द्वंद्व इस बात पर है कि पुत्र अपनी पारिवारिक व सामाजिक प्रथा के विरुद्ध जाते हुए मुस्लिम लड़की शमीम से विवाह करना चाहता है।

अतः हम कह सकते हैं कि राजी सेठ की कहानियां पुरानी रुद्धियों और परंपराओं को नकारते हुए चलती हैं। रुद्धियों के संबंध में लेखिका की स्पष्ट मान्यता है कि स्वस्थ रुद्धियों को अपने व्यवहार एवं संस्कारों में अवश्य अपनाना चाहिए परतुं कुस्तित व अप्रसांगिक गली-सड़ी प्रथाओं के मानक प्रहार को नहीं सहना चाहिए। आज के युग की मांग है कि स्वस्थ दृष्टिकोण को स्थान मिले। जिस 'प्राचीन' में किसी का हित न हो कर अहित बंधा हो, उस प्राचीन को न प्रथा माना जा सकता है न ही आदर्श।

## संदर्भ—सूची

- स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी कहानी, सं. हरीश अरोड़ा, साहित्य संचय प्रकाशन, भारत, संस्करण 2018
- 'अपने विरुद्ध', राजी सेठ, संस्करण 2003
- महिला हिन्दी कहानीकारों की कहानियां, सं. सुधा उपाध्याय, के.बी.एस. प्रकाशन, संस्करण 2017